The Times of India & Dainik Bhaskar, Bhopal , Thursday 16-05-2024

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016
Ph. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742
E-mail : pwmhomppcb@gmail.com

क्र. 2496/तक.प्लास्टि/मप्रप्रनिबो/2024, भोपाल, दिनांक : 15.05.2024

आम-सूचना

मध्यप्रदेश में स्थित प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रोड्यूसर, इम्पोटर, ब्रॉण्ड ओनर एवं प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा विकसित सेन्ट्रलराइज्ड ईपीआर पोर्टल पर पंजीयन कराने के संबंध में

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.02.2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक सा.क.नि. 133(अ) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में स्थित सभी प्रोड्यूसर, इम्पोटर, ब्रॉण्ड ओनर (PIBOs) एवं प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर (PWPs) को यह सूचना दी जाती है कि वह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा विकसित सेन्ट्रलराइज्ड ईपीआर पोर्टल पर दिनांक 31.05.2024 तक पंजीयन करावें। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की सूचना क्रमांक F. No. CP-20/14/2022-UPC-II-HO-CPCB-HO दिनांक 13.05.2024 के अनुसार समस्त प्रोड्यूसर, इम्पोटर, ब्रॉण्ड ओनर (PIBOs) एवं प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर (PWPs) को पूर्ण पंजीयन आवेदन ईपीआर पोर्टल पर किया जाना है। अधिसूचना का प्रकाशन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत हुआ है अत: अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 की धारा-15 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही का प्रावधान है। अत: अधिसूचना/सूचना अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सूचना, निर्देश एवं गाइड लाइन्स को बोर्ड की कार्यालयीन वेबसाइट **https://www.mppcb.mp.gov.in/** पर देखा जा सकता है।

सदस्य सचिव

म.प्र. माध्यम/114614/2024